जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''शांति निवास''
अग्रसेन भवन के सामने
वार्ड क्र.-04, दुरपा रोड कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. KRB/Res./24/012 दिनांक : 05/12/2024

प्रति, आदरणीय रेड्डी जी नमस्कार

श्री जी. किशन रेड्डी जी,
माननीय कोयला एवं खान मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली ।

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला में संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से निस्तारित फ्लाई ऐश (राखड़) को कोरबा की विभिन्न खदानों व लो–लाईन ऐरिया में उपयोग किए जाने संबंधी विहित मानकों व नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विभिन्न संस्थानों व विभागों द्वारा प्राप्त सुविधाओं का दुरूपयोग करने विषयक तथ्यों को आपके संज्ञान में लाने और कोरबा अंचल के निवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए दोषी प्रतिष्ठानों, विभागों अथवा अधिकारियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के संबंध में।

———————

माननीय महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य अन्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोरबा जिला में **कोल इण्डिया** के अधीन **एस.ई.सी.एल. प्रबंधन** द्वारा संचालित अनेक कोयला खदानों से निरंतर कोयले का उत्पादन जारी है जिसकी आपूर्ति सड़क अथवा रेल मार्गों के माध्यम से देश में अनेक राज्यों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों व ताप विद्युत संयंत्रों को होती है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में **एस.ई.सी.एल.** द्वारा संचालित कोरबा की विभिन्न खदानों ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिससे न केवल कोरबा जिला अपितु छत्तीसगढ़ राज्य स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। दूसरी तरफ कोरबा अंचल में ही केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के अनेक ताप विद्युत संयंत्र संचालित हैं जिनसे उत्पादित बिजली देश के अनेक राज्यों को औद्योगिक और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पहुंचाई जाती है।

आप इस तथ्य से भलीभांति अवगत होंगे कि ताप विद्युत संयंत्रों में कोरबा की खदानों से ही कोयले की आपूर्ति होती है जहां से प्रतिदिन हजारों टन फ्लाई ऐश (राखड़) का उत्सर्जन होता है और विद्युत संयंत्रों से निस्तारित फ्लाई ऐश (राखड़) का निपटान करना विद्युत संयंत्रों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है।

इस समस्या का कुछ हद तक निराकरण करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजमार्गों के निर्माण से संबंधित लो–लाईन क्षेत्रों में भराव के लिए, भूमिगत खदानों अथवा खुली खदानों के लो लाईन क्षेत्रों में भराव के लिए ताप विद्युत संयंत्रों से निस्तारित फ्लाई ऐश (राखड़) का उपयोग किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सरकार द्वारा विधिवत बनाई गई नियमावली के

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''शांति निवास''
अग्रसेन भवन के सामने
वार्ड क्र.-04, दुरपा रोड कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

तहत् उपयोगकर्ता प्रतिष्ठान/संस्थान संबंधित क्षेत्र के पर्यावरण विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्धारित मापदण्डों के तहत फ्लाई ऐश (राखड़) का परिवहन कर उसका उपयोग कर सकता है।

आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है कि मानिकपुर कोयला खदान कोरबा की सबसे पुरानी खदान है जिसका संचालन कई दशकों तक किया जाता रहा है। खदान की गहराई और सुरक्षा मानकों व उत्पादन लागत की दृष्टि से वहां से कोयला उत्पादन बन्द कर दिए जाने के बाद से वह क्षेत्र दशकों तक उपेक्षित सा पड़ा रहा। उक्त खदान में बरसात का पानी भर जाने से इंसानों और पशुओं की जान के लिए बहुत ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र बन गया। इस समस्या से निपटने के लिए उक्त खदान को राखड़ से भरने व समतल करने के लिए एस.ई.सी.एल. प्रबंधन, जिला प्रशासन व पर्यावरण विभाग ने निर्णय लिया जिसके तहत उस खदान में राखड़ पाटने का कार्य किया जाने लगा।

इस विषय पर ध्यान देने योग्य निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना बहुत आवश्यकता है:–

- **आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मानिकपुर खदान जिस स्थान पर संचालित थी उस स्थान पर कोयला उत्खनन करने के बाद बहुत बड़े दायरे में सैकड़ों फिट गहराई वाला विशाल खाई का रूप ले चुका था लेकिन आज उसी स्थान पर सैकड़ों फिट ऊंचा फ्लाई ऐश (राखड़) का पहाड़ दिखाई देता है।**
- आप इस तथ्य से भी भलीभांति अवगत होंगे कि कोरबा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ ही प्रदूषण की भयावह स्थिति के मामले में भी राज्य में प्रमुख स्थान रखता है।
- इस तथ्य को आपके संज्ञान में लाना जरूरी प्रतीत होता है कि कोरबा में वायु गुणवत्ता वर्तमान समय में **65 µg/m3** है जो निर्धारित सामान्य मापदण्ड से लगभग **ढ़ाई गुना अधिक** खराब स्थिति में है जिसका व्यापक प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ रहा है और प्रतिव्यक्ति पर दो या उससे अधिक सिगरेट का सेवन करने के समान स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह जानकारी गूगल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
- इस तथ्य को विगत वर्ष केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता में इंगित किया था जबकि वे कोरबा शहर में एक–दो घंटे ही रहे। कोरबा की गंभीरतम प्रदूषण समस्या पर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा था कि इस गंभीर समस्या पर नियंत्रण किया जना आवश्यक है जिसके लिए अंचल में संचालित समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कोयला कम्पनियों को मिलकर काम करना होगा।

- आपको इस तथ्य से भी अवगत कराना लाजिमी होगा कि कोयला उत्पादन बंद होने के बाद अनेक वर्षों तक उपेक्षित पड़े मानिकपुर खदान का भराव कर समतलीकरण करने के लिए कोरबा में संचालित केन्द्र सरकार का ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी, राज्य सरकार का विद्युत संयंत्र सीएसईबी, कोरबा, दर्री व मड़वा विद्युत संयंत्रों के अलावा बालको व एनटीपीसी सीपत से भी फ्लाई ऐश का सड़क मार्ग द्वारा परिवहन कर उपयोग में लाया जा रहा है।

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''शांति निवास''
अग्रसेन भवन के सामने
वार्ड क्र.-04, दुरपा रोड कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

- इतना ही नहीं उस क्षेत्र में डम्प किए गए ओव्हर बर्डेन को भी भराव के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसी स्थान पर राखड़ का पहाड़ खड़ा किया जाना कोरबा के आम नागरिकों द्वारा जनसामान्य के स्वास्थ्य की कीमत पर कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- इस अंचल में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से उद्योग जनित बीमारियों में से अस्थमा, चर्मरोग और फेफड़े से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है जिसके लिए अन्य कारणों के अलावा हवा के झोंको के साथ वातावरण में लगातार फैल रहे फ्लाई ऐश के कण हैं जो एक चादर के समान समूचे क्षेत्र में बिखर जाते हैं।

- नियमानुसार ताप विद्युत संयंत्रों से निस्तारित फ्लाई ऐश कहीं भी खुले स्थान पर नहीं फेंका जा सकता और यदि किसी कारणवश ऐसा किए जाने की जरूरत पड़ती भी है तो उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाया जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं किए जाने की वजह से हवा के झोंकों से यह पूरे वातावरण में फैल जाता है जो चर्म रोगों के साथ ही श्वसन रोग, अस्थमा, फेफड़े व अन्य अनेक तरह की घातक बीमारियों को जन्म देता है।

- आपकी जानकारी के लिए कोरबा की वायु गुणवत्ता के संबंध में गूगल पर उपलब्ध जानकारी को यथावत् प्रस्तुत किया जा रहा है। **The air quality in Korba right now is moderately polluted. It is equivalent to smoking 2+ cigarettes today. People with heart or lung disease, older adults, children and teenagers should reduce prolonged exertion. It's ok to be active outside, but take more breaks and do less intense activities. People with asthma should follow their asthma action plans and keep quick relief medicine handy.**

- **इस व्यवस्था पर कड़ाई से नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ती हुई कोरबा में सहज ही देखी जा सकती है अन्यथा जहां सैकड़ों फिट गहराई वाले स्थान को भर कर समतल किया जाना था आज वहां पर सैकड़ो फिट ऊंचा राखड़ का पहाड़ कैसे खड़ा हो गया?**

- **यदि ऐसा करने के लिए संबंधित संस्थान को अनुमति प्रदान किया गया है और वह विधि सम्मत है तो वह सब किन नियमों के तहत किया गया है यह जांच का विषय है जबकि नियमानुसार फ्लाई ऐश (राखड़) को कहीं पर भी खुले में डम्प नहीं किया जा सकता है।**

- एक तरफ कोरबा जिला देश के उन्नति और विकास में सहभागी बनकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है, वहीं दूसरी तरफ आश्चर्यजनक तरीके से कोरबा के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ समूचे प्रशासनिक अमले की नाक के नीचे हो रहा है जो अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न करता है।

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''शांति निवास''
अग्रसेन भवन के सामने
वार्ड क्र.-04, दुरपा रोड कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... दिनांक : .....

- मानिकपुर खदान चूंकि एस.ई.सी.एल. प्रबंधन विशेषकर कोरबा परियोजना क्षेत्र के अधीन आता है। यदि उस क्षेत्र में इस प्रकार की अव्यवस्था और मनमानी की वजह से राखड़ का पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कोरबा अंचल में प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना अधिक पहुंच गया है और जनसामान्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और अनेक जानलेवा बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि एस.ई.सी.एल. परियोजना कोरबा का प्रबंधन इन सब के लिए जवाबदेह है या फिर सब कुछ उनकी सहमति से हो रहा है और जनसामान्य के स्वास्थ्य अथवा कोरबा अंचल के प्रदूषण स्तर से एस.ई.सी.एल. विशेषकर कोरबा परियोजना क्षेत्र प्रबंधन का कोई सरोकार नहीं है जैसे अनेक सवाल उठते हैं। इस संबंध में आवश्यक जांच और संबंधित अधिकारी पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में आपके द्वारा ठोस कदम उठाते हुए दोषी व्यक्तियों अथवा संस्थानों के ऊपर नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई की जावेगी ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी अथवा संस्थान नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके।

सधन्यवाद,

(जयसिंह अग्रवाल)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्री भूपेन्द्र यादव जी, माननीय पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. डॉ. चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा।
3. श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, सांसद, कोरबा लोकसभा।
4. श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. श्री पी.एम. प्रसाद जी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, कोल इण्डिया, भारत सरकार नई दिल्ली।
6. डॉ. प्रेमसागर मिश्रा, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर।
7. श्री अजीत बसंत जी, कलेक्टर, जिला कोरबा (छ.ग.)।